



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062025-263819
CG-DL-E-14062025-263819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2531]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2025

का.आ. 2595(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 163(E). तारीख 09/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 17.45 से कि.मी. 64.669 (हडगाओं) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२८.०२.२०२५" को "लोकमत" और "लोकमत टाईम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 17.45 से कि.मी. 64.669 (हडगाओं) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हिमायतनगर					
गांव का नाम: दिघी					
1	३८	निजी	कृषक	0.0701	शारदावाई चिंतामणराव घुटे 38/7
गांव का नाम: टेंभूर्णी					
2	६९	निजी	कृषक	0.0638	देवगीरगुरु आनंदगीर गिरी 69/1
Total				0.1339	

[फा. सं. 12037/35/2017-MAH- P6/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2025

S.O. 2595(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 163(E). Dated:09/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-752I in the stretch of land from Km. 17.45 to Km. 64.669 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Lokmat**” and “**Lokmat Times**” both dated 28.02.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEME

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-752I in the stretch of land from Km. 17.45 to Km. 64.669 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: NANDED			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Himayatnagar					
Village: Dighi					
1	38	Private	Agriculture	0.0701	Shardabai Chintamanrao Ghute 38/7
Village: Tembhurni					
2	69	Private	Agriculture	0.0638	Devgirguru Anandgir giri 69/1
Total				0.1339	

[F. No. 12037/35/2017-MAH- P6/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director